संख्या-164/2018/1975/6-पु-7-2018-33(ते0वि0)/2013

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग 7 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2018

विषय- जनपद सुल्तानपुर में 800 क्षमता के पी0टी0एस0 की स्थापना हेतु विभिन्न निर्माण कार्यो एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या:ग्यारह-525(32)-2013, दिनांक 21.02.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सुल्तानपुर में 800 क्षमता के पी0टी0एस0 की स्थापना हेतु विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-2482/6-पु0-7-2014-33(ते0वि0)/2013, दिनांक 28.11.2014 तथा शासनादेश संख्या-1514/6-पु0-7-2017-33(ते0वि0)/2013, दिनांक 12.07.2017 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1137.22 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1080.359 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 56.861 लाख एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 60.70 लाख सहित कुल देय धनराशि रू0 1,17,56,100/- (रू0 एक करोड़ सत्रह लाख छप्पन हजार एक सौ मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय ।

(2) पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना मे सम्मिलित है ।

(5) पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रसतावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि पर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:07/2017/बी-1-823-/10-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

(11) प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की सीमा तक अवशेष धनराशि चालू कार्य के रूप में पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जाएगी ।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्गत शासनादेश संख्या:07/2017/बी-1-823-/10-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(14) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर भविष्य में धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

(15) पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वन्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जी0ई0एम0)/ई-टेण्डरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(16) पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कराया जाय ।

(17) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

(18) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

(19) प्रश्नगत प्रायोजना में जीएसटी की धनराशि को सम्मिलित करते हुए संशोधित शासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय जीएसटी की शुद्ध गणना हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे । किसी भी वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे ।

2- पुलिस मुख्यालय द्वारा भविष्य में निर्माण कार्यो को पूर्ण करने में बिलम्ब को कम करने तथा निर्माण इकाई पर गहन परीक्षण व पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे जिससे मूल स्वीकृत लागत में टाइम ओवर रन व कॉस्ट ओवर रन कम हो सके। निर्माण के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाय। भविष्य में पुन: पुनरीक्षित आगणन के आधार पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं स्वीकृत की जायेगी।

3- उक्त धनराशि का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-06-पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण -24-वृहद निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-12-1658/दस-2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव।

संख्या-164/2018/1975(1)/6-पु0-7-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पुलिस आवास निगम, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनभाग-1/2
8- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
पद्माकर शुक्ला
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in